UPSR010004222026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Sri Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 155/2026

1– सोमेश मिश्रा उम्र 22 वर्ष पुत्र पवन कुमार मिश्रा,

2– अमित तिवारी उम्र 26 वर्ष पु. ननके उर्फ मुरलीधर तिवारी,

3– सुभाष मिश्रा उम्र 22 वर्ष पुत्र शिवकुमार मिश्रा, निवासीगण सिटकहना जोत केशव थाना कोतवाली देहात जनपद बहराईच।

————————प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ——————————अभियोगी।

अपराध संख्या 26/2025
अन्तर्गत धारा 115 (2), 352, 351 (3) 191 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध)
व धारा 3 (2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत</u>

<u>दिनांक 10–03–2026</u>

यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त इस न्यायालय को दिनांक 27–02–2026 को प्राप्त हुआ।

अभियुक्तगण सोमेश मिश्रा, अमित तिवारी व सुभाष मिश्रा की ओर से आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण सोमेश मिश्रा, अमित तिवारी व सुभाष मिश्रा की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 26/2025 अन्तर्गत धारा 115 (2), 352, 351 (3) 191 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध) व धारा 3 (2)

(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती। जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादी मुकदमा पर नोटिस तामील है परन्तु उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन ही प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन पर विद्वान ए0डी0जी0सी0 व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मयंक गौतम की तरफ से थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती पर इन कथनों की तहरीर दी गयी कि दिनांक 29–01–2025 को समय करीब शाम 9.00 बजे प्रार्थी ग्राम दमांवा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती मे मेला देखने गया था कि विपक्षी शिवम तिवारी पुत्र अज्ञात व इनके साथ ती अन्य लोग पहुंचे और प्रार्थी के सर पर मार दिया विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए लात मुक्का व लाठी डंडा से मारे तथा जातिसूचक गाली भी दिये तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

अभियुक्तगण द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अभियुक्तगण घटना से अनभिज्ञ हैं। घटना की दिनांक को प्रार्थी संख्या 1 बहराईच में कोचिंग पढ़ने गया था और अक्सर बहराईच मे रहता है थाना गिलौला अन्तर्गत दमावा मे मेला देखने नही गया था। वादी ने उसका भविष्य खराब करने के उददेश्य से मुकदमे में नामित कर दिया है। प्रार्थी के चचेरे भाई संजय मिश्रा को वादी मुकदमा व अन्य लोागे ने मारा पीटा था जिनके विरूद्ध थाना गिलौला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था इसी से झुब्ध होकर वादी मुकदमा ने प्रार्थीगण को फर्जी नामित कर दिया है। अतः अभियुक्तगण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाये।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होने घटना के दिन, समय व स्थान पर वादी मुकदमा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, को बल्बा कारित हुए मारापीटा, गालियां दी तथा धमकी एवं जनता के दृष्टिगोचर स्थल पर जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। दूसरी तरफ अभियुक्तगण का कथन है कि प्रथम सूचक ने उन्हें फर्जी फंसाया है अभियुक्त पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा के उपर लिखाये गये अभियोग की रंजिशवश उसने अभियुक्तगण को नामित कर दिया है। अभियोजन की तरफ से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण पर आरोपित धाराओं में अधिकतम 07 वर्ष के दण्ड का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में

अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर थे उन्होने अन्तरिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण सोमेश मिश्रा, अमित तिवारी व सुभाष मिश्रा प्रत्येक द्वारा 50–50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें इन शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है कि वे विचारण के दौरान साक्षियों को न तो डरायेंगे न धमकी देंगे तथा विचारण की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
श्रावस्ती।